न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :— 57/2025 (157/2023)

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
गणपतलाल वगैरा		राधादेवी वगेरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 1955

प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 1908

उपस्थिति :—

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री कल्याणनाथ अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 01 से 10 उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 11 से 14 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 03/04/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण का वाद अंतर्गत धारा 92 (ए), 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं सपठित धारा 136 एवं 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम गुडाकलां के साबिका खसरा संख्या 520 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के पूर्वज किस्तूरचंद पुत्र तिलोकराम जाति भाट निवासी गुड़ाकलां के 1/2 हक हिस्से की थी जो जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2034 में दर्ज सुदा है। दौराने द्वितीय सेटलमेन्ट साबिका खसरा संख्या 520 से नये खसरा संख्या 687 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा संख्या 688 रकबा 2.0000 हैक्टर बनाये गये जिसमें खसरा संख्या 688 की भूमि में किस्तूरंचद का भी हक हिस्सा होने के बावजूद भी सम्पूर्ण खसरे की भूमि को बीजा पुत्र भगा के नाम विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर दी और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान ने फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करवाकर विधि विरूद्ध रूप से खसरा संख्या 687 व 688 की भूमि को अप्रार्थी संख्या 11 से 14 को बिना कब्जा हस्तान्तरण किये बेचान रजिस्ट्री कर पंजीयन करवा दिया जबकि वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का उनके पूर्वज किस्तूरचंद के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था जिसमें दिनांक 11/10/2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था जिसकी तारीख पेशी दिनांक 19/02/2025 नियत थी। उक्त पेशी की जानकारी वादी प्रार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने नहीं दी थी इसलियें वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुये थे और अधिवक्ता बीमार होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके थे इसलियें वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया। जिसका ऑर्डरशीट की नकल के लिये दिनांक 25/02/2025 को आवेदन किया जो ऑर्डरशीट की नकल दिनांक 03/03/2025 को मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि वादीगण का वाद अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया है। अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नही भुगताया जावें। तथा वादी का वाद पुनः उसी नम्बर पर उसी स्टेज पर रेस्टोर किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर श्रीमान से निवदेन है कि प्रार्थीगण के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र को स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2023 को यथावत रखते हुए पुनः उसी नम्बर उसी स्टेज पर रेस्टोर किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें। अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो वो प्रदान फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र तथा बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0पत्र में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने से संबंधित वर्णित कारण को उचित मानते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर न्याय हित में प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र 500/– रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता हैं। मूल प्रकरण को पुनः उसी स्टेज पर नये नंबर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुनः रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल प्रा0पत्र के साथ नत्थी हो। पत्रावली प्रा0पत्र के साथ आयंदा दिनांक 21/11/2026 को पेश हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)